देवीलाल बनाम मोत्या वगैरा

फर्द अहकाम

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम – गंगापुर सिटी

.....बनाम.....

मुकदमा .....नं०.....सन्.....

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	21-6-17 वकील उभयपक्ष उप० / पुनः बहस सुनी गई / वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 30-6-17 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी 30-6-17 वकील उभयपक्ष उप० / दर० वाज़दायरी अस्वीकार की जाती है / विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया / पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
43/2012	3.9.2012	30.6.2017

देवीलाल पुत्र फैली, गुर्जर निवासी चामुण्डादेवी मंदिर के पास, गुर्जर मोहल्ला गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

1. मोत्या पुत्री हरदेवा जाति गुर्जर निवासी चामुण्डादेवी मंदिर के पास गुर्जर मोहल्ला, गंगापुर सिटी
2. हनुमान पुत्र कन्हैया, गुर्जर निवासी बमोरी तहसील सवाईमाधोपुर
3. पून्या पि0मु0 ऊंकार जाति गुर्जर निवासी चामुण्डादेवी मंदिर के पास गुर्जर मोहल्ला, गंगापुर सिटी
4. लैन्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वाजदायरी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी0पी0सी0

उपस्थित :— श्री मोहसिन खान , एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वाजदायरी तहत आदेश 9 नियम 4 सी0पी0सी0 इस आशय का पेश किया है कि उक्त प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादी दि. 17.8.12 में नियत था जिसमें वादी के गवाह लिस्ट गवाहान के अनुसार नम्बर 13 पटवारी हलका ग्राम बामोरी तहसील सवाईमाधोपुर की तलवी हेतु वादी ने दिनांक 30.7.2012 को तलवाना गवाहान पेश कर रखा था और दि0 17.8.12 को तारीख पेशी देखने तामील व साक्ष्य हेतु नियत थी और वादी देवीलाल न्यायालय में हाजिर था। सांय 4 बजे तक न्यायालय से कोई आवाज नहीं दिलाई गई ना ही दोनों पक्षों के अभिभाषक उपस्थित हुए। लगभग 4 बजे प्रकरण में आवाज होने पर वादी मय मुंशी वीरेन्द्र कुमार पेशी पर न्यायालय में उपस्थित आए और तामील गवाह हलका पटवारी ग्राम बामोरी लौटकर नहीं आने पुर पुनः तामील जारी करने का निवेदन किया तो एस0डी0एम0 साहब प्रकरण वाकिव बनाम तनवीर वगैरा में पक्षकारों से उलझ रहे थे और एस0डी0एम0 साहब नाराजी व गुस्से में बोल रहे थे कि वकील प्रकरणों का फैसला नहीं कराना चाहते ओर केसों को लम्बा करना चाहते हैं कोई तामील नहीं देखनी और रीडर साहबसे कहा कि मुकदमे को खारिज कर दो।इस पर रीडर साहब ने कहा कि वादी व मुंशी तो बाहर है वकील नहीं है तो एस0डी0एम0 साहब ने कहा कि यहां के वकील तभी सुधरेंगे तुमसे कह दिया

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

है कि अदन हाजरी में खारिज कर दो। एक बार आदेश कर दिया फिर भी बार बार क्यों पूछते हो। इस पर रीडर साहब ने दावा अदम हाजरी में खारिज कर दिया जबकि वादी व मुंशी पेशी पर मौजूद थे और बार बार अनुनय-विनय करने पर भी कोई सुनवाई नहीं की और न्यायालय ने अल्टीटेरली प्रिज्यूडिश होकर मैलाफाइड इन्टेन्शन से गलत तौर से अवैधानिक आदेश खारिज करने का फरमा दिया जो न्याय संगत नहीं है और ऐसी कार्य प्रणाली से पक्षकारों का विश्वास न्यायालय से पूरी तरह से उठ जावेगा। प्रार्थी वादी ने उसी वक्त आदेश की नकल हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया। दिनांक 18.8.2012 को शनिवार का अवकाश, दिनांक 19.8.2012 को रविवार व दिनांक 20.8.2012 को ईद का अवकाश होने पर प्रार्थी ने नकल आदेश प्राप्त कर अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई का मौका दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी ने अपनी समस्त साक्ष्य करा दी थी लेकिन अनावश्यक प्रकरण को लम्बा करने की नियत से बकिया साक्ष्य में चला रहा था। उक्त प्रकरण में वादी द्वारा ना तो लिस्ट गवाहान पेश की गई तथा ना ही किसी गवाह को तलव कराने के लिए सम्मन प्रस्तुत किए गए थे ना ही कोई गवाह वादी का उपस्थित था। प्रार्थना पत्र में वर्णित सारे तथ्य मनगढन्त वेबुनियाद हैं। उक्त तथ्य महज पीठासीन अधिकारी को बदनाम करने की नियत से उन पर नाजायज दबाब डालने की नियत से लिखे गए हैं। वादी द्वारा यह भी नहीं बताया है कि उस वक्त वाकिव व तनवीर का कौन का प्रकरण लम्बित था क्या सुनवाई हो रही थी और सुनवाई हो रही थी तो वादी या उसके अधिवक्ता को कैसे पता था। उक्त सारे तथ्य मनगढन्त कपोल कल्पित हैं। वादी के पास वरवक्त पेशी अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण नहीं था ना ही वादी या उसके अधिवक्ता उक्त प्रकरण में इन्ट्रस्टेड थे। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री होकर स्कीम भी आ चुकी है इस कारण से यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। उक्त प्रकरण में विभाजन की डिक्री भी जारी हो चुकी है। वादी येन केन प्रकारेण उक्त प्रकरण को डिले करना चाहता है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र वादी खारिज किए जाने योग्य है।

उप जिला कलेक्टर
सांगानेर सिटी (स०मा०)

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि स्वयं वादी एवं उनके मुंशी के उपस्थित होते हुए भी वादी का दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया इसलिए यह आदेश निरस्त किया जाकर वादी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

अप्रार्थिया के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि वादी एवं उसके वकील की अनुपस्थिति के कारण वादी का दावा खारिज किया जाकर प्रतिवादिया का काउन्टर क्लेम निर्णित किया गया है। वादी का दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने के बाद प्रतिवादिया के काउन्टर क्लेम में कार्यवाहियां चलती रही तथा नियमानुसार विभाजन स्कीम मंगवाई जाकर प्रतिवादिया का काउन्टर क्लेम स्वीकार होकर भूमि का पक्षकारों के मध्य न्यायालय द्वारा विधिवत विभाजन किया गया है तथा इसका राजस्व अभिलेख में अंकन भी हो चुका है। इसकी जानकारी वादी को भी रही है क्योंकि दिनांक 17.8.2012 की आदेशिका के अनुसार प्रकरण में आगामी पेशी 21.8.2012 नियत की गई थी । वादी दावे की आगामी कार्यवाही में भाग ले सकता था लेकिन वादी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि वह दावे के प्रति गम्भीर नहीं था। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किए हैं उनमें उसने अप्रत्यक्ष रूप से अदालत की कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह लगाया है जो गलत है। इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र खरिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में आगे कहा कि एक बार फाइनल डिक्री हो जाने के बाद वाजदायरी प्रार्थना पत्र के आधार पर दावे में पुनः प्रोसीडिंग आरम्भ नहीं की जा सकती है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने न्याय दृष्टान्त ए0आई0आर0 2015 जम्मू एण्ड कश्मीर पेज 6, ए0आई0आर0 2014 पटना पेज 232 उद्धत किए हैं।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। दावा संख्या 195/2004 उनवानी देवीलाल बनाम मोत्या वगैरा दिनांक 17.8.2012 को तारीख पेशी पर था। स्वयं वादी, वकील वादी एवं वादी का गवाह उपस्थित नहीं होने के कारण वादी की साक्ष्य बन्द की जाकर वादी/प्रार्थी का दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया तथा प्रकरण में प्रतिवादिया/अप्रार्थी मोत्या देवी का काउन्टर क्लेम होने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु पत्रावली में आगामी पेशी 21.8.2012 नियत कर दी गई। इसके

बाद वादी/प्रार्थी ने एवं वकील वादी/प्रार्थी ने इस दावे की आगामी कार्यवाही में जानबूझकर भाग नहीं लिया जबकि वादी/प्रार्थी ने आदेशिका की नकल हेतु दिनांक 17.8.12 को आवेदन कर दिनांक 29.8.2012 को आदेशिका की नकल प्राप्त कर ली थी जिससे वाद के आगे चलते रहने की जानकारी वादी/प्रार्थी को हो गई थी। इस दावे में न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही जारी रखते हुए वादग्रस्त भूमि की विभाजन स्कीम मंगवाई गई एवं वह प्राप्त होने के बाद वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों के मध्य विभाजन कर दिया गया एवं वर्तमान में विभाजन के अनुसार ही पक्षकारों के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन है। इस सबसे यह प्रमाणित होता है कि वादी/प्रार्थी अपने वाद के प्रति गम्भीर नहीं था एवं अब जबकि इस न्यायालय द्वारा किए गए विधिवत विभाजन के अनुसार भूमि का राजस्व अभिलेख में पृथक पृथक रूप से अंकन हो चुका है तो वह इस कार्यवाही का निरस्त करवाना चाहता है। हमारी राय में वादी/प्रार्थी का यह प्रयास न्यायोचित नहीं है तथा प्रस्तुत प्रकरण पर अप्रार्थी के वकील द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त भी चस्पा होते हैं फलस्वरूप वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वाजदायरी अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.6.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)